

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा)

पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार योगी (R.A.S)

उनवान

1. बंशीधर पुत्र श्री बोदूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र श्री प्रभातीलाल
2. बंशीधर पुत्र श्री प्रभातीलाल
3. सीताराम पुत्र श्री प्रभातीलाल
समस्त जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण


दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 239/2013

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू वादी व प्रतिवादीगण मिन जामिन मुददई रुबरू अशोक कुमार योगी आरएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद सारहीन होने एवं वाद कारण के अभाव में खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।


बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट विजयसिंहपुरा मे आज तारीख 10.05.2017 को जारी किया गया।




(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	0		स्टाम्प वकालतनामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2		मीजान	1	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर